सीगा मुन्तकिली प्रकरण सं0 66/2020 (GCMS 2020/00188) अनवानी 1. जगसीर सिंह 2 रणधीर सिंह पिसरान मिठु सिंह उर्फ प्रीतम सिंह जाति जटसिख निवासी पतली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर बनाम 1. रेशम सिंह पुत्र हरनेक सिंह जाति जटसिख निवासी पतली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर 2. पालो पुत्री हरनेक सिंह पत्नी कौर सिंह जाति जटसिख निवासी कोटली कलां तहसील व जिला मानसा (पंजाब) 3. रानी पुत्री हरनेक सिह पत्नी गुरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी नागसर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर 4. सुखपाल कौर पुत्री हरनेक सिंह पत्नी बुटा सिंह 5. कर्मजीत कौर पुत्री हरनेक सिंह पत्नी जरनैल सिंह जाति जटसिख निवासी कोटली कलां तहसील व जिला मानसा (पंजाब) 6. पीठासीन अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर

01.02.2021

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री मोहन लाल माहर उपस्थित हुए **और** फर्द अहकाम के हाशिये पर नॉट प्रैस (Not Press) अंकित कर निवेदन किया कि वे उक्त पत्रावली में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते है, इसलिए उनकी पत्रावली इसी आधार पर दाखिल दफ़्तर कर दी जाये तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के न्यायालय के प्रकरण संख्या 173/2017 अनवानी जगसीर सिंह बनाम रेशम सिंह मुकद्दमा अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13, 151 सीपीसी एवं टीआई प्रकरण संख्या 174/2017 में लम्बित प्रकरणों में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना को लेकर अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुंतकिल करने के लिए यह मुंतकिली प्रार्थना पत्र पेश किया था। अब चूंकि वह आगे इस पत्रावली में कोई कार्यवाही नहीं चाहते है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इसी आधार पर खारिज किया जाना उचित होगा।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी जगसीर सिंह वगै. द्वारा प्रस्तुत मुंतकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय में पालनार्थ भिजवाया जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 01.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायलय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official